झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची

(झारखण्ड सरकार का उपक्रम)

Corporate I.D- U51228JH2010SGC014519, GST No – 20AACCJ5622N1ZO

उत्पाद भवन, भूतल, नवीन पुलिस केंद्र मुख्यमंत्री सचिवालय के समीप कांके रोड, राँची

E-mail :- jsbcl.jharkhand@gmail.com

पत्रांक :–94 राँची, दिनांक :–10/01/2023

क्र0 स0	कम्पनी का नाम	प्री बीड में पुछे गये प्रश्न	विशुद्धिकरण
1	Securafence Security Pvt. Ltd	कर्मियों की चयन प्रक्रिया का एकाधिकार चयनित मानव बल सेवा प्रदाता को दिया जाए	**''झारखण्ड उत्पाद (झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली, 2022'' के नियम–24 एवं 25** 24 झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन हेतु कर्मियों की नियुक्ति एवं नियंत्रण :– (i) (क) भारत का नागरिक हो। (ख) 21 वर्ष से अधिक आयु का हो। (ग) उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि न हो। (घ) उसका कोई उत्पाद बकाया/शासकीय राशि की देयता न हो। (ड़) किसी संक्रामक या छुआ–छूत रोग से ग्रसित न हो। (ii) खुदरा उत्पाद दुकानों के लिए झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, दुकान प्रभारी, दुकान सहायक एवं एक सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति के लिए आवश्यकतानुसार प्लेसमेंट एजेन्सी, परिवहन एजेन्सी, Cash Collection Agency एवं सुरक्षा एजेन्सी का चयन बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगा। प्लेसमेंट एजेन्सी के कर्मियों का चयन नियम 25 में प्रावधानित जिला स्तरीय समिति/उप समिति के माध्यम से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर बहाल किया जायगा। झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड 10 से 15 दुकानों के समूह के लिए एक दुकान पर्यवेक्षक की नियुक्ति करेगा। दुकान पर्यवेक्षक के अन्तर्गत क्रियाशील दुकानों के समूह में कार्यरत दुकान प्रभारी, दुकान सहायक तथा सुरक्षा गार्ड अपने कार्यो से संबंधित प्रतिवेदन दुकान पर्यवेक्षक को समर्पित करेंगे तथा उसके नियंत्रणाधीन कार्य करेंगे। दुकान पर्यवेक्षक, दुकान प्रभारी, दुकान सहायक एवं सुरक्षा गार्ड का कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद वैसे कर्मियों के विरूद्ध कार्रवाई के लिए झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को अनुशंसा भेजेंगे। जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड अवश्य संज्ञान लेगा तथा प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। दुकान पर्यवेक्षक, दुकान प्रभारी, दुकान सहायक एवं सुरक्षा गार्ड की सेवा से संबंधित सेवा शर्त्तो का निर्धारण एवं व्यवस्थाझारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। आवश्यकतानुसार समय–समय पर झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के कार्यो के सुगमतापूर्वक निष्पादन करने के लिए बोर्ड के निर्णय के आधार पर एवं झारखण्ड राज्य

सहमति से उत्पाद पदाधिकारियों की सेवा भी ली जा सकेगी।

25. झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए दुकानों के व्यवस्थापन (यथा दुकानों को किराये पर लेना, प्लेसमेंट एजेन्सी से कर्मचारी लेना, दुकानों के संचालन के लिए वस्तुओं का क्रय, निरीक्षण की समीक्षा इत्यादि) के लिए निम्नवत जिला स्तरीय समिति/उप समिति गठित की जाती है –

(i) दुकानों के संचालन के लिए वस्तुओं का क्रय, निरीक्षण की समीक्षा तथा अवैध मदिरा पर प्रभावी रोक–थाम के लिए जिला स्तरीय समिति निम्नवत होगी.–

(a) जिला के उपायुक्त – अध्यक्ष।
(b) जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक – सदस्य।
(c) जिला के सभी अनुमंडल पदाधिकारी – सदस्य।
(d) सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद – सदस्य, सचिव
(उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग)

(ii) दुकानों को किराये पर लिये जाने के लिए समिति निम्नवत गठित की जायेगी –

(a) उपायुक्त द्वारा नामित अपर समाहर्त्ता से अन्यून कोई पदाधिकारी– अध्यक्ष।
(b) अपर पुलिस अधीक्षक/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी – सदस्य।
(c) संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी – सदस्य।
(d) कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग – सदस्य।
(e) सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद – सदस्य, सचिव।
(उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग)

(iii) खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन के लिए संचालन कर्मचारी (दुकान प्रभारी/दुकान सहायक) आदि के चयन के लिए निम्नवत समिति गठित की जाती है –

(a) उपायुक्त द्वारा नामित अपर समाहर्त्ता से अन्यून कोई पदाधिकारी– अध्यक्ष।
(b) अपर पुलिस अधीक्षक/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी – सदस्य।
(c) जिला रोजगार अधिकारी – सदस्य।
(d) श्रम अधिकारी – सदस्य।
(v) सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद – सदस्य, सचिव।
(उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग)

उक्त सभी समितियाँ जिला के उपायुक्त के द्वारा गठित की जायेंगी।

सभी अंचलाधिकारी/थाना प्रभारियों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे अपने–अपने क्षेत्र में दुकानों के लिए स्थल प्राप्ति हेतु समिति का सहयोग करें। परन्तु बाद के वर्षों में दुकान के परिसर का चयन अथवा दुकानों को स्थानान्तरित करने के लिए परिसर का चयन झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

			के द्वारा किया जाएगा। खुदरा उत्पाद दुकानों के परिसर हेतु किराया के भुगतान की प्रक्रिया वही होगा जो झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के बोर्ड के द्वारा समय–समय पर निश्चित किया जाएगा। जिला के उपायुक्त यदि आवश्यक समझें तो उत्पाद अनुज्ञप्ति अवधि के मध्य में भी वे खुदरा उत्पाद दुकानों की संख्या में परिवर्त्तन करने का प्रस्ताव आयुक्त उत्पाद को भेज सकेंगे। जिला के उपायुक्त द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर आयुक्त उत्पाद के द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया जाएगा। जिला के उपायुक्त को विभाग की सहमति एवं असहमति संसूचित की जाएगी। इस संबंध में आयुक्त उत्पाद का निर्णय अंतिम होगा। राजस्व हित में तथा क्षेत्र में ग्राहको के माँग के अनुरूप नई दुकानें उपायुक्त से प्राप्त प्रस्ताव पर आयुक्त उत्पाद की अनुमति के उपरान्त खोली जा सकेगी। दुकानों को बन्द करने का निर्णय उपायुक्त के द्वारा आयुक्त उत्पाद की सहमति प्राप्त कर की जाएगी।
2		दुकानों में मदिरा स्कंधों की आपूर्ति हेतु पारक निर्गत करने का अधिकार चयनित मानव बल सेवा प्रदाता दिया जाए।	**''झारखण्ड उत्पाद (झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली, 2022'' के नियम–22 (i)** झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के खुदरा उत्पाद दुकानों में मदिरा की आपूर्ति हेतु खुदरा उत्पाद दुकान पर्यवेक्षक अथवा सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद से अन्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा जिला उत्पाद कार्यालय में ऑनलाईन आवेदन समर्पित किया जाएगा। आवेदन के आधार पर सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के द्वारा वांछित उत्पाद कर के भुगतान के उपरांत पारक निर्गत किया जाएगा। निर्गत पारक के आधार पर मदिरा का परिवहन झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के संचयकर्त्ता गोदाम से खुदरा उत्पाद दुकानों में इस कार्य हेतु JSBCL द्वारा चिन्हित परिवहन एजेन्सी के माध्यम से की जाएगी।
3		मदिरा स्कंधों का मासिक उठाव लक्ष्य का निर्धारण पूर्व के सत्रों एवं वर्तमान में औसत बिक्री के आधार पर निर्धारित हो।	**''झारखण्ड उत्पाद (झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली, 2022'' के नियम–15** झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के दुकानों के लिए न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का निर्धारण :– झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक तथा आयुक्त उत्पाद के द्वारा संयुक्त रूप से विगत वर्षो के बिक्री के आँकड़ों एवं वर्त्तमान समय के बिक्री ट्रेंड का आकलन करते हुये बिक्री की राशि से संबंधित लक्ष्य का निर्धारण किया जाएगा, ताकि बिक्री राशि में समाहित उत्पाद राजस्व की प्राप्ति कुप्रभावित नहीं हो। संबंधित दुकानों के लिए निर्धारित बिक्री लक्ष्य के अनुरूप प्राप्त होने वाले मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में कमी रहने पर संबंधित प्लेसमेंट एजेन्सी की जिम्मेवारी तय की जायेगी। उक्त राजस्व क्षति की वसूली प्लेसमेंट एजेन्सी के द्वारा जमा किये गये बैंक गारंटी से क्षतिपूर्त्ति के लिए राज्यसात किया जायेगा। इस संदर्भ में नियमानुसार प्रशासनिक कार्रवाई JSBCL द्वारा किया जायेगा।
4		ग्राहकों के मांग अनुरूप मदिरा स्कधों के पर्याप्त भंडार की कमी	**झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2022 के नियम –9 (iii)** मदिरा की प्रत्येक थोक विक्रेता अनुज्ञप्तिधारी को संचयन गोदाम (वेयरहाउस) में प्रमंडल/प्रक्षेत्र के अंतर्गत विभिन्नजिला के

		किसी भी परिस्थिति में न हो।	मांग के अनुरूप अबाधित आपूर्त्ति हेतु न्यूनतम स्कन्ध (Stock) का संधारण करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक थोक विक्रेता इस निमित्त प्रत्येक ड्यूटी Slab की मदिरा एवं पॉपुलर ब्राण्ड का न्यूनतम स्कन्ध (पूर्व के वर्षो में ड्यूटी/स्लैब के अनुसार बिक्री की गई मात्रा के अनुरूप) संधारित करेगा। प्रत्येक थोक विक्रेता अनुज्ञप्तिधारी के लिए किसी भी समय संधारित किये जाने योग्य न्यूनतम स्कन्ध (Stock) के संबंध में आयुक्त उत्पाद के द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा, जिसे मानना प्रत्येक अनुज्ञाधारी के लिए बाध्यकारी होगा। आयुक्त उत्पाद के द्वारा मदिरा के किसी ब्राण्ड के निमित्त निर्धारित न्यूनतम मात्रा से कम मात्रा में मदिरा का संचयन JSBCL के गोदाम में करने पर थोक अनुज्ञप्तिधारी पर उस ड्यूटी/स्लैब उत्पाद राजस्व के समतुल्य अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा।
5		झारखण्ड राज्य के सीमावमर्ती (बंगाल एवं उड़ीसा) में मदिरा स्कंधों के वर्तमान मूल्य के अनुरूप झारखण्ड राज्य के मूल्य पर हो।	**झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2022 के नियम -9 (i)** मदिरा के खुदरा बिक्री मूल्य तथा थोक बिक्री मूल्य के निर्धारण हेतु थोक विक्रेता इस नियमावली के नियम 2 (xiv) में यथा परिभाषित EDP/EBP/EWP आयुक्त उत्पाद के समक्ष समर्पित करेगा। खुदरा बिक्री मूल्य एवं थोक बिक्री मूल्य का निर्धारण सदस्य, राजस्व पर्षद द्वारा निर्धारित फार्मूले के अनुरूप आयुक्त उत्पाद के द्वारा किया जायेगा। किसी भी चालू ब्राण्ड के मदिरा के EDP/EBP/EWP में परिवर्तन हेतु आवेदन नियमानुसार वर्ष के जनवरी एवं जुलाई माह में किया जा सकेगा।
6		क्षेत्र में अवैध मदिरा निर्माण/देशी मदिरा सहित एवं विपणन के रोकथाम हेतु त्वरित कार्रवाई दल सहित न्यायिक दंड के वर्तमान प्रावधानों को और सख्त करते हुए विभागीय अधिकारियों/प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाय।	**"झारखण्ड उत्पाद (झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली, 2022" के नियम-21** झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के खुदरा उत्पाद दुकानों का निरीक्षण :- उत्पाद विभाग के सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद से अन्यून सभी उत्पाद पदाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के खुदरा उत्पाद दुकानों का निरीक्षण कर सकेंगे। संबंधित उत्पाद पदाधिकारी खुदरा उत्पाद दुकानों में पाई गई अनियमतता से संबंधित प्रतिवेदन अपने सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के माध्यम से शीघ्र निगम/विभाग के मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
	Orion Safety & Security Services (P) Ltd.	There should be no shortage of adequate stock of liquor as per the demand of the customers under any circumstances	उपरोक्त कंडिका-4 को संदर्भ लें।
		Right of section of personnel process to be given to successful manpower service provider	उपरोक्त कंडिका-1 को संदर्भ लें।

		The responsibility of the departmental officers/administrative officer should be fixed by making the existing provisions of judicial punishment stringent, including prompt action terms for prevention of illegal manufacturing & distribution of country liquor in the area	उपरोक्त कंडिका–6 को संदर्भ लें।
		Current rate of Liquor in Jharkhand State should be at the Price of Jharkhand's Border states (Bengal & Orisha)	उपरोक्त कंडिका–5 को संदर्भ लें।
		Determination of the monthly off take target of liquor stocks should be determined on the basis of average sales in previous month and in the present	उपरोक्त कंडिका–3 को संदर्भ लें।
	orion securit y solutio n pvt. Ltd	Bidder should have experience certificate of Retail sale/ Wholesale in any Government Organisation/Government owned Public Sector undertaking of value Rs 4 (Four) Crores for more than two year during the last three financial years from the date of NIT in PSU's /Government Department (Central/State)/ Registered	Bidder having experience certificate of Retail sale/ Wholesale of value Rs 4 (Four) Crores for more than two year during the last three financial years from the date of NIT in PSU's /Government Department (Central/State)/ Registered Companies under Companies Act for deploying manpower shall be allowed. The certificate should be issued by the officer not lower than the rank of Divisional Engineer/Branch Manager/Executive Engineer/Under Secretary or equivalent or above.

		Companies under Companies Act for deploying manpower. The certificate should be issued by the officer not lower than the rank of Divisional Engineer/Branch Manager/Executive Engineer/Under Secretary or equivalent or above.	